Avadh Law College
Barabanki

Criminal procedure code
(Unit-IV)

Syllabus-

Complaints to magistrates
Commencement of proceedings before magistrates Bail- object and meaning of bail
Cancellation of bail
Anticipatory bail
Powers of appellate court to grant bail
General principles concerning bond
Charge, framing of charge, from the content of charge and its exceptions
Separate charge for distinct offence
Discharge- pre-charge evidence.

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki

Complaint to magistrates-: (मजिस्ट्रेटों से परिवाद)

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत धारा 200 से धारा 203 तक में मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में उपबंध किए गए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में परिवाद की परिभाषा नहीं दी गई है परिवाद की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(d) में दी गई है

धारा 2(d) के अनुसार परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है परंतु ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा।

धारा 200 परिवादी की परीक्षा-:

परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परंतु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा -

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है

परंतु यह और की यादि मजिस्ट्रेट और परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए फिर से परीक्षा करना आवश्यक ना होगा।

हाशिम अब्दुल हमीम बनाम इलाही बक्स 1979 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि किसी वारंट मामले में धारा 200 के उपरोक्त उप- -बंधों के अनुपालन के आधार पर मजिस्ट्रेट को कार्यवाही समाप्त करने और अभियुक्त को उन्मोचित करने की अधिकारिता नहीं होती यदि वह ऐसा करता है तो यह दोष मुक्ति का आदेश होगा और इसके विरूद्ध अपील की जा सकती है दूसरा परिवार फाइल नहीं किया जा सकता है।

गुरदीप सिंह बनाम हरभजन सिंह 1982 के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आ अवधारित किया की धारा 200 के अधीन परिवाद के मामले में ऐसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा धारा 202 के अधीन की जानी चाहिए जिसका परिवादी अवलम्ब लेता है या जिसे वह पेश करना चाहता है।

धारा 201: ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है -:

यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है

(क) यदि परिवार लिखित है तो मैं उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा

(ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा

धारा 202: आदेश का के जारी किए जाने को मुल्तवी करना -:

(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान पर निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चत करने के प्रयोजन से की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा

नहीं या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया जाएगा-

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है अथवा
(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की यदि कोई हो धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है।

(2) उप धारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों
का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।

(3) यदि उप धारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत शक्तियां होंगी ।

अर्थात स्पष्ट है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का परिवाद करने पर जिसके संज्ञान के निमित्त उसे अधिकृत किया गया है अथवा जो धारा 192 के अंतर्गत उसके हवाले कर दिया गया है यदि वह ठीक समझता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है अथवा यह निर्णय करने के लिए कि क्या कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं किसी पुलिस अधिकारी को अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे अन्वेषण का निर्देश दे सकता है।

इससे स्पष्ट होता है कि इस धारा का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को इस अभिमत निर्माण के लिए समर्थ बनाना है कि आदेशिका जारी की जाए अथवा नहीं और वह अपने मस्तिष्क से उस संकोच को निकाल दे जिसका की आभास उसे उस समय हुआ था जब उसने परिवाद का अवलोकन और परिवादी के साथ का शपथ पर विचार किया था इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को जो कुछ देखना है वह यह है कि क्या परिवाद के अब कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य है अथवा नहीं

धारा 203 परिवाद का खारिज किया जाना -:

यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो) और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामलों में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

इस धारा का उद्देश्य परिवाद को खारिज करने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करना है। अतः इस तरह इस धारा के अंतर्गत परिवाद को खारिज करने का मुख्य आधार इस राय का निर्माण करना है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और यह नहीं कि दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त आधार नहीं है पर्याप्त आधार का तात्पर्य मजिस्ट्रेट का यह समाधान है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले का निर्माण कर दिया गया है न कि यह कि उसकी दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने का पर्याप्त आधार है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। -:

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 की धारा 203 में यह व्यवस्था की गई है यद मजिस्ट्रेट परवादी के और साक्षियों के कथन पर और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात इस राय पर पहुंचता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा । परंतु यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तब आगे की प्रक्रिया के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है।

धारा 204 आदेश का का जारी किया जाना -:

(1) यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और -

(क) मामला संबंध मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की हाजरी के लिए समन जारी करेगा अथवा

(ख) मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने वाले या हाजिर होने के लिए वारंट या यदि ठीक समझता है तो समन जारी कर सकता है।

(2) अभियुक्त के विरुद्ध उप धारा 1 के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है।

(3) लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में उप धारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी।

(4)। जब तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस संदेय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है।

(5)। इस धारा की कोई बात धारा 47 के उपबंध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

अता धारा 204 से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ अपराध का संज्ञान करने पर और अभियुक्त को समन जारी कर दिए जाने के बाद होता है जब अभियुक्त समन के प्रत्युत्तर में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तब मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अध्याय 20 के अधीन कार्यवाही करनी होती है परंतु अभियुक्त के विचारण की आवश्यकता तब होती है जब परिवाद में यह अभिकथन किया गया हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है यदि परिवाद में ऐसा कोई अभिकथन करके अभियुक्त को अपराध करने में अंतर्वलित न किया गया हो तो यह विवक्षित है कि मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं प्राप्त है मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त इस तरह के मामले में यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है कि उसके विरुद्ध आदेशिका नहीं जारी की जानी चाहिए थी परिवाद पर पुनर्विचार करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके लिए उसका विचारण किया जा सकता है तो वह कार्यवाही को रोक सकता है कार्रवाई को रोक देने के लिए अथवा आदेश का को विखंडित कर देने के लिए किसी विनिर्दिष्ट उपबंध की आवश्यकता नहीं है आदेशिका जारी करने का आदेश एक अंतरिम आदेश होता है वह निर्णय नहीं होता उस आदेश में बदलाव किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है यह तथ्य की आदेशिका को पहले ही जारी किया जा चुका है कार्यवाही को रोक देने के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता ।

धारा 205, मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकना-:

(1) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है ।

जब कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अविमुक्त कर सकता है और उसे अपने वकील द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है परंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश तत्पश्चात दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है।

धारा 206 : छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन :-

छोटे अपराधों के लिए जांच या विचारण की लंबी कार्यवाही से बचने के लिए अभियुक्तों को कुछ सुविधा देने का यह उपबन्ध धारा 206 द्वारा किया गया है। इस धारा का उद्देश्य छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन जारी करके मामले का त्वरित निस्तारण करना है और अभियुक्तों को न्यायालय में हाजिर होने आदि की परेशानियों से अभिमुक्ति प्रदान करना है।

धारा 206 के अनुसार

(1) यदि किसी छोटे अब अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 के या धारा 261 के अधीन संक्षिप्त रूप से निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हो या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम संदेश वाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे या यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होना चाहता है और प्लीडर द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करें और ऐसे प्लीडर की मार्फत जुर्माने का संदाय करे ।

परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम ₹1000 से अधिक न होगी ।

(2)- इस धारा के प्रयोजनों के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल ₹1000 से अधिक जुर्माने से दंडित है किंतु उसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभावक पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध है इस प्रकार दंडनीय है।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को उप धारा 1 द्वारा किसी ऐसे अपराध के संबंध में जो धारा 320 के अधीन शमनीय है अथवा ऐसे किसी अपराध के संबंध में जो 3 माह से अधिक अवधि के कारावास व जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय है और मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल जुर्माने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त कर सकती है।

धारा 207: अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना-:

किसी मामले में जहां कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्कृत की गई है मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निशुल्क देगा-

(i) पुलिस रिपोर्ट

(ii) धारा 154 के अधीन लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट

(iii) धारा 161 की उपधारा 3 के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिसकी अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने के अभियोजन का विचार है उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 173 की उप धारा (6) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है

(iv) धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गई संस्वीकृतियां या कथन यादि कोई हो

(v) कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण जो धारा 173 की उप धारा (5) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है

परंतु मजिस्ट्रेट खंड (iii) के निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात यह निदेश दे सकता है कि कथन के उस भाग को या उसके ऐसे प्रभाग को, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझें एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए

परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा।

अतः इस धारा में यह उपबंध किया गया है कि जहां मामले में कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्कृत की गई है वहां मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि उपरोक्त अभिलेखों की प्रतियां अभियुक्त को बिना किसी खर्च के देगा।अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की उपरोक्त प्रतियां देने का उद्देश्य उसे इस बात की जानकारी कराना है कि उसे जांच अथवा विचारण के समय किस बात का सामना करना है और यह भी कि वह अपने को प्रतिरक्षा के लिए तैयार रखे।

धारा 208: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना-:

जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिप अभियुक्त को अविलंब निशुल्क देगा।

(i) उन सभी व्यक्तियों के जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है धारा 200 या 202 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन

(ii) धारा 161 या धारा 164 के अधीन लिखे कथन और संस्वीकृतियां यदि कोई हों

(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई दस्तावेजों जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है

परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है तो अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे स्वयं या प्लीडर द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा।

इस धारा का उद्देश्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में अभियुक्त को तथ्यों और दस्तावेजों की प्रतियां देने की व्यवस्था करना है इस तरह के मामलों में धारा 207 द्वारा अभियुक्त को जो मूल्यवान अधिकार प्रदान किया गया है वह उपलब्ध नहीं रहता। धारा 208 इसी कठिनाई के निवारण का प्रयत्न करती है और अभियुक्त व्यक्ति को उसके विरुद्ध

तैयार किए गए मामले से अवगत कराती है और उसे अपनी प्रतिरक्षा के निमित्त तैयार होने के लिए समर्थ बनाती है।

धारा 209: जब अपराध अनंता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना -:

जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह -

(क) यथास्थिति धारा 207 अथवा धारा 208 के उपबंधों की अनुपालना के बाद और जब तक मामला सुपुर्द नहीं किया गया हो जमानत एवं अभियुक्त की अभिरक्षा के रिमांड के संबंध में न्यायालय के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उप बंधुओं के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और विचारण के समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा

(ग) मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजों और वस्तुएं यदि कोई हों जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा।

(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा ।

विधि के उपबंधों के अध्यधीन सामान्यता सेशन न्यायालय अपराधों का संज्ञान सीधे नहीं ले सकता है और ऐसे किसी भी मामले में वह केवल तभी संव्यवहार करता है जब उसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द कर दिया जाए ।धारा 216 ऐसे मजिस्ट्रेट से कुछ प्रारंभिक कृतियों को करने की और तब मामले को औपचारिक रूप से सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने की अपेक्षा करती है।

धारा 210: परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण-:

1- जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में (जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद वाला मामला कहा गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेगा।

2- यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 174 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने

वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं।

3- यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

इस धारा के अंतर्गत परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण की जाने की स्थिति में मामलों के समेकन की व्यवस्था करना है जब किसी गंभीर अपराध का अन्वेषण पुलिस द्वारा हो रहा होता है तब कुछ संबंधित व्यक्तियों द्वारा परिवाद फाइल किया जा सकता है और दुराशय से अथवा अन्यथा अभियुक्त की दोषमुक्त का आदेश प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद तो मामले का अन्वेषण निष्फल हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में न्याय की हत्या भी हो सकती है इस स्थिति से निपटने के लिए धारा 210 के अंतर्गत एक ही अपराध के संदर्भ में मामले के समेकन के लिए उपबन्ध किया गया है इस धारा का आशय यह सुनिश्चित करना है कि प्राइवेट परिवाद न्याय के साथ हस्तक्षेप न करे।

Bail (object and meaning)

जमानत से तात्पर्य विचारण के लिए हाजिर होने की प्रतिभूति या प्रतिभू जमा कर देने पर कारागार से अस्थाई तौर पर छोड़ दिया जाना है।

अतः जमानत का अर्थ किसी व्यक्ति से निश्चित तारीख को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभूति है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसके निरोध का उद्देश्य विचारण के समय उसकी हाजिरी को सुनिश्चित करना है और यह भी निश्चित कर लेना है कि मामले में यदि वह दोषी पाया जाता है तो दण्डादेश भोगने के लिए उपलब्ध रहे विचारण के समय यदि उसकी उपस्थिति गिरफ्तारी और निरोध के बिना सुनिश्चित हो सकती है तो उसके लिए यह अन्याय पूर्ण होगा कि उसे तब तक उसकी स्वाधीनता से वंचित रखा जाए जब तक उसके विरुद्ध चलाई गई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में लंबित है।

सुंदरनारायण बखिया बनाम रजनीकांत 1982 :
के वाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया की जमानत का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त और उसके जमानतदारों से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि वह विचारण के समय उपलब्ध रहेंगे।

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 की धारा 436 में जमानती अपराधों के बारे में जमानत के संबंध में व धारा 437 में अजमानती अपराधों के संबंध में जमानत के बारे में उपवन्ध किया गया है।

धारा 436 में उपबंध किया गया है कि जहां किसी जमानती अपराध के अभियुक्त को गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किया गया है वहां वह व्यक्ति एक अधिकार के रूप में जमानत पर छोड़े जाने का दावा कर सकता है इस धारा का प्रवर्तन ऐसे समस्त मामलों में होता है जिनमें अभियुक्त जमानती अपराध का

दोषी है या वह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी अपराध का अभियुक्त नहीं है परंतु जिसके विरुद्ध इस संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रतिभूति की कार्यवाहियां प्रारंभ की गई है या गिरफ्तारी अथवा निरोध का कोई भी ऐसा मामला है जो किसी गैर जमानती अपराध से संबंधित नहीं है।

जब गैर जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह व्यक्ति यदि ऐसी अभिरक्षा में किसी समय या न्यायालय की कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा परंतु ऐसा अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के जमानत लेने के बजाय उसको हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकता है परंतु इन उपबंधों की कोई बात धारा 116 (3) और धारा 446-क के उपवन्धो पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार है इसलिए जब भी ऐसा अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो तब न्यायालय या थाने के बाहर साधक पुलिस अधिकारी को जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति उपस्थित है उसे जमानत पर छोड़ना ही होगा ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ ना उसके साथ कोई रियायत करना नहीं है इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अपराध गंभीर है यदि अपराध जमानती है तब जमानत लेने से इनकार नहीं किया जा सकता।

धारा 437: अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत की जा सकेगी-:

जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है जहां जमानती अपराध की स्थिति में धारा 436 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाना अज्ञापक है वही धारा 437 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाना निर्देशात्मक अथवा विवेकात्मक है इस धारा के अधीन जमानती अपराध का अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं कर सकता जबकि धारा 436 के अधीन जमानती अपराध का अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है।

परंतु यदि न्यायालय को यह विश्वास करने का उचित आधार है की अजमानतीय अपराध का अभियुक्त मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा इसी प्रकार यदि उसके द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय किस्म का है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडित किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है या वह किसी ऐसे संज्ञेय अपराध के लिए जो 3 वर्षों या उससे अधिक परंतु 7 वर्षों से कम के कारावास से दंडनीय है दो या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है तो वह जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

धारा 436-क : अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है-:

जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्यु दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवध के जो उसके अधीन उस

अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है वहां वह प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा।

जमानत का रद्द किया जाना (cancellation of bail) -:

धारा 437 की उप धारा 5 में यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को धारा 437 की उप धारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

धारा 439 की उप धारा 2 में उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

इस प्रकार धारा 437 की उप धारा 5 के अंतर्गत वह न्यायालय जमानत को रद्द कर सकता है जिस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है जबकि धारा 439 की उप धारा 2 के अंतर्गत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह अधिकार भी प्रदत्त किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर सके।

अग्रिम जमानत (anticipatory bail) -:

अग्रिम जमानत के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में उपबंध किया गया है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए तो वह धारा 438 के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए।

धारा 438 का उद्देश्य गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत का उपबंध करना है और ऐसी जमानत मंजूर करने के लिए निदेश देने के निमित्त उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को सशक्त करना है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदत की जाती है जबकि सामान्य जमानत गिरफ्तारी के बाद प्रदत की जाती है।

धारा 438 : गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश-:

Powers of appellate court to grant bail : जमानत के बारे में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां :

धारा 439 में सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय (अपीलीय) न्यायालय की जमानत संबंधी विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां -:

उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदेश दे सकता है कि -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो और जो अभिरक्षा में है जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 437 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपचारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे आरोपित कर सकता है।

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए :

परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है आजीवन कारावास से दंडनीय है जमानत लेने की पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

धारा 440 : बंधपत्र की रकम और उसे घटाना :-

1- इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी।

2- उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए।

इस धारा के अनुसार स्पस्ट है कि जमानत के लिए निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की सम्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी।

धारा 441 : अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंध पत्र:-

इस धारा में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक बंधपत्र तथा एक या अधिक प्रतिभूओं द्वारा बन्ध- -पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में उपबंध है यह धारा मजिस्ट्रेट को नकद प्रतिभूति लेने हेतु अधिकृत नहीं करती है धारा 445 के अंतर्गत नकद राशि न्यायालय में जमा करने की सुविधा ऐसे अभियुक्त को उपलब्ध की गई है जो आवश्यक प्रतिभूति देने में समर्थ हो।

धारा 446 : प्रक्रिया जब बंधपत्र समपहृत कर लिया जाता है -:

इस धारा में बंधपत्र के संपहरण की प्रक्रिया बताई गई है उप धारा 1 में उपबंधित है कि जब न्यायालय के समक्ष यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र का समपहरण हो चुका है तो

न्यायालय की संतुष्टि हो जाने पर वह ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति को शास्ति देने हेतु निर्देश देगा या कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछेगा कि उससे शास्ति नहीं क्यों न ली जाए ।

446क : बंधपत्र और जमानतपत्र का रद्दकरण-:

इस धारा में बंधपत्र तथा जमानत पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने पर उसे रद्द किए जाने के परिणामों के बारे में विवेचना है इस धारा के उपबंध पूर्वर्ती धारा पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना उसके अनुसरण में लागू होंगे अतः जब कोई बंधपत्र धारा 446 के अधीन समपहृत कर लिया गया है तब उसे रद्द माना जाएगा और यदि पुलिस अधिकारी या न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिए बंधपत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई युक्तियुक्त कारण नहीं था तो उसे स्वयं के व्यक्तिगत बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जा सकेगा इस धारा के परंतुक के अनुसार ऐसे व्यक्ति को केवल उसी दशा में छोड़ा जा सकता है यदि वह एक या अधिक प्रतिभुओं सहित नया बंधपत्र निष्पादित करा दे।

धारा 447: प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया:-

वह न्यायालय जिसके द्वारा बंधपत्र लिया गया था या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निम्नलिखित दशाओं में आबद्ध व्यक्ति से नई प्रतिभूति की मांग कर सकेगा-

1-यदि प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या

2- प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है या

3- बंधपत्र धारा 446 के अधीन जब्त हो जाता है।

यदि ऐसा व्यक्ति नई प्रतिभू देने में असफल रहता है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट यथास्थिति उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो उस व्यक्ति ने मूल आदेश के पालन में व्यतिक्रम किया हो।

धारा 448: अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र -: यदि बंधपत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकता है

Charge (आरोप)

आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधारों के साथ-साथ अपराध की तिथि, समय, स्थान उसमें शामिल व्यक्ति एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपना बचाव प्रस्तुत करता है सामान्यता आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है । आरोप के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 से धारा 224 तक उपबंध किए गए हैं।

आरोप को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ख) में परिभाषित किया गया है।

आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो आरोप का कोई भी शीर्ष है

धारा 211 से लेकर धारा 214 तक यह बताया गया है कि आरोप में कौन सी बात समाविष्ट होगी।

धारा 215 में उन गलतियों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है जो आरोप में अपराध और अन्य विवरणों को उल्लिखित करने में हुई है।

धारा 216 और 217 में आरोप में परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति और ऐसे परिवर्तन के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है।

धारा 218 में यह नियम बताया गया है कि प्रत्येक पृथक अपराध के लिए पृथक आरोप होना चाहिए और प्रत्येक ऐसे आरोप का प्रथक विचारण होना चाहिए। परंतु धारा 219, 220, 221 और 223 इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है।

धारा 222 उन परिस्थितियों से संव्यवहार करती है जिनमें अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है जिस के निमित्त उस पर आरोप नहीं लगाया गया था।

धारा 224 में उस प्रभाव का उल्लेख किया गया है जिसमें विभिन्न आरोपों में से किसी एक आरोप पर दोष सिद्ध होने पर शेष आरोपों का प्रत्याहरण कर लिया गया हो।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki